संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
भोपाल-मध्यप्रदेश
ई-मेल : training.dhsmp@gmail.com दूरभाष : 0755-2441074

क्रमांक/4/प्रशिक्षण/2019/ 180 भोपाल, दिनांक 10/04/2019

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
   मध्यप्रदेश ।
2. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक,
   समस्त जिला चिकित्सालय
   मध्यप्रदेश ।

विषयः डिप्लोमा इन हैल्थ प्रमोशन एजुकेशन (डी.एच.पी.ई.)कोर्स हेतु नामांकन भेजने के संबंध में।

परिवार कल्याण प्रशिक्षण तथा अनुसंधान केन्द्र, मुंबई द्वारा एक वर्षीय पूर्णकालिक डिप्लोमा इन हैल्थ प्रमोशन एजुकेशन (डी.एच.पी.ई.) कोर्स संचालित किया जाता है, यह कोर्स अंतराष्ट्रीय जनसंख्या अनुसंधान केंद्र, मुम्बई से संबद्ध है। डी.एच.पी.ई. कोर्स एक वर्ष कर अवधी का आवासीय प्रोग्राम है। वर्ष 2019-20 के शैक्षेणिक सत्र में डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश हेतु नियमित सेवा के पैरा मेडिकल/नर्सिंग/स्वास्थ्य कार्यकर्ता उचित माध्यम से अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते है । इस कोर्स के लिये उम्मीदवार को निम्न शर्तों का पालन किया जाना चाहिए:-

1. यू.जी.सी. द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालय से स्नातक उपाधी होना आवश्यक है, आयुष, नर्सिंग, पैरा-मेडिकल के क्षेत्र में डिग्री होने पर प्रवेश हेतु प्राथमिकता दी जाएगी ।
2. स्वास्थ्य के क्षेत्र में न्यूनतम 3 वर्ष का नियमित सेवा का अनुभव ।
3. अधिकतम आयु 01 अप्रैल 2019 को 40 वर्ष । अधिकतम आयु में अन्य पिछड़ा वर्ग को 3 वर्ष तथा अनुसूचित जाति/जनजाति को 5 वर्ष तक की छूट होगी।
1. भारत सरकार के नियमों के अनुरुप अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण का प्रवधान होगा। आरक्षण का लाभ लेने के लिये वैध जाती प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी है अतः उम्मीदवार को अंग्रेजी का बेसिक ज्ञान होना आवश्यक है।

कृपया आप अपने जिले/जिला अस्पताल से योग्य उम्मीदवार का नामांकन संलग्न प्रपत्र में निधारित तिथि तक अधोहस्ताक्षरकर्ता को हार्ड एवं सॉफ्ट कापी में ई-मेल training.dhsmp@gmail.com पर अंतिम तिथी दिनांक 22 अप्रैल 2019 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, विलंब से प्राप्त नामांकन पर विचार नही किया जाऐगा ।

संलग्नः-उपरोक्तानुसार ।

(राकेश मुंशी)
संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक/4/प्रशिक्षण/2019/ /81 भोपाल, दिनांक 10/04/2019

प्रतिलिपिः-कृपया सूचनार्थ

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, स्वास्थ्य सेवाऐं, मध्यप्रदेश।
3. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश।
4. संचालक, प्रशिक्षण, मध्यप्रदेश।
5. समस्त क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, मध्यप्रदेश।

संयुक्त संचालक (प्रशिक्षण)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश